

समावेशी दर्शन

*Dr. Shilpy Kumari

Assistant Professor Teachers' Training College, Bhagalpur, Tilkamanjhi Bhagalpur
University, Bhagalpur, Bihar (India).

Article Received: 08 April 2026

Article Revised: 28 April 2026

Published on: 18 May 2026

*Corresponding Author: Dr. Shilpy Kumari

Assistant Professor Teachers' Training College, Bhagalpur, Tilkamanjhi Bhagalpur

University, Bhagalpur, Bihar (India).

DOI: <https://doi-doi.org/101555/ijrpa.3855>

ABSTRACT

समावेशी दर्शन एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि या पहचान के बावजूद, समान सम्मान और भागीदारी का अधिकार देती है। इसका मूल मंत्र "सबका साथ और सबका सम्मान" है। मुख्य रूप से यह अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में 'समावेशी शिक्षा' के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका विस्तार जीवन के हर पहलू में है। शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का आधार है। आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी समाज के निर्माण का साधन बन गया है। 'समावेशी शिक्षा' एक ऐसी आधुनिक शिक्षण प्रणाली है, जो बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर देती है। इसका मूल मंत्र है— "एक ही छत के नीचे, हर बच्चे की शिक्षा।" समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे (जैसे दिव्यांग, शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, या सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे) एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि विविधता एक बाधा नहीं, बल्कि सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। इस दर्शन के अनुसार, विद्यालय को बच्चे की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और बुनियादी ढांचे को लचीला बनाया जाता है ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके।

कूटशब्द : समावेशी दर्शन, विविधता का उत्सव, अनुकूलन, शून्य अस्वीकृति, सहायक तकनीक समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी (विशेष शिक्षा): शुरुआत में दिव्यांग बच्चों को "अक्षम" माना जाता था और उनके लिए अलग स्कूल (Special Schools) खोले गए। 1960-70 का दशक: इस दौरान 'नॉर्मलाइजेशन' का सिद्धांत आया, जिसमें कहा गया कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य समाज का हिस्सा होना चाहिए। 1990 (जोमटियन सम्मेलन, थाईलैंड): 'सभी के लिए शिक्षा' (Education

for All) का वैश्विक आह्वान किया गया। 1994 (सालामांका वक्तव्य, स्पेन): यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। 92 देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सामान्य स्कूलों को सभी बच्चों का स्वागत करना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। यही वह बिंदु था जहाँ 'Inclusion' शब्द को वैश्विक पहचान मिली।

भारत में समावेशी शिक्षा का आगमन स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती प्रयास

कोठारी आयोग (1964-66): इस आयोग ने पहली बार 'Common School System' की सिफारिश की और सुझाव दिया कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षित किया जाना चाहिए। **IEDC योजना (1974):** भारत सरकार ने 'दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' (Integrated Education for Disabled Children) योजना शुरू की। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल करना था।

नीतिगत बदलाव (1980 - 2000)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986): इसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूलों के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। **PWD अधिनियम 1995:** 'समान अवसर और पूर्ण भागीदारी' का कानून बना, जिसने शिक्षा को दिव्यांगों का अधिकार बना दिया। **भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) अधिनियम 1992:** इसने विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया।

संवैधानिक और आधुनिक युग (2000 - वर्तमान)

सर्व शिक्षा अभियान (SSA 2001): "Zero Rejection Policy" अपनाई गई, जिसका मतलब था कि किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता के आधार पर स्कूल में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। **RTE अधिनियम 2009:** 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। **RPWD अधिनियम 2016:** इसने दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया और समावेशी शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020):** यह नीति समावेशी शिक्षा को और व्यापक बनाती है, जिसमें जेंडर, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और दिव्यांगता—सभी बाधाओं को हटाकर एक समान शिक्षा प्रणाली की बात की गई है।

समावेशी दर्शन के मुख्य स्तंभ

1. **विविधता का उत्सव :** यह दर्शन मानता है कि व्यक्तिगत अंतर कोई समस्या नहीं, बल्कि समाज की पूंजी है।

विविधता का उत्सव समावेशी दर्शन का वह आधार है जो यह मानता है कि हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। यह अंतर समाज के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक मजबूती है।

इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **विभिन्नता को स्वीकारना:** इसका मतलब केवल अंतर को 'सहन करना' नहीं, बल्कि उसे खुशी-खुशी स्वीकार करना है। चाहे वह भाषा, संस्कृति, शारीरिक क्षमता या सोचने का तरीका हो, हर रूप का अपना महत्व है।
 - **सीखने के अवसर:** जब अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक-दूसरे से नया दृष्टिकोण सीखते हैं। यह रचनात्मकता और सहानुभूति को बढ़ाता है।
 - **पूर्वाग्रहों का अंत:** जब हम विविधता का उत्सव मनाते हैं, तो समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ और डर खत्म होने लगते हैं। हम व्यक्ति को उसकी 'लेबल' (जैसे- विकलांग या गरीब) से नहीं, बल्कि उसकी 'काबिलियत' से देखते हैं।
 - **लोकतांत्रिक मूल्य:** यह स्तंभ इस विचार को पुख्ता करता है कि एक समृद्ध समाज वही है जहाँ हर किसी की पहचान सुरक्षित हो और उसे अपनी विशिष्टता के साथ जीने का गौरव मिले।
2. **भेदभाव का अंत:** यह जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के अलगाव का विरोध करता है। समावेशी दर्शन में "**भेदभाव का अंत**" केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक नैतिक संकल्प है। यह इस विचार पर प्रहार करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जन्मजात या अर्जित विशेषताओं के आधार पर समाज से अलग किया जा सकता है।

इस स्तंभ के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- **समान गरिमा :** यह दर्शन मानता है कि चाहे कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो, किसी भी जाति, धर्म या आर्थिक स्तर का हो, हर मनुष्य की मानवीय गरिमा एक समान है। किसी को भी "कमतर" समझना भेदभाव की जड़ है, जिसे यह दर्शन पूरी तरह नकारता है।
- **अवसरों की सुलभता :** भेदभाव केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि व्यवस्था में भी होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सार्वजनिक इमारत में रैंप नहीं है, तो वह दिव्यांगों के प्रति एक प्रकार का भेदभाव है। समावेशी दर्शन ऐसी बाधाओं को हटाकर सबको समान पहुँच प्रदान करने की बात करता है।
- **अलगाव का विरोध :** पहले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों या व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल या संस्थान बनाए जाते थे। समावेशी दर्शन कहता है कि यह "अलगाव" ही भेदभाव को जन्म देता है। इसलिए, सबको मुख्यधारा में शामिल करना अनिवार्य है।
- **कानूनी और सामाजिक सुरक्षा:** यह स्तंभ सुनिश्चित करता है कि समाज में ऐसे कानून और नीतियाँ हों जो किसी भी व्यक्ति को हाशिए पर जाने से बचाएं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सशक्त करें।

3. अनुकूलन: इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को व्यवस्था के अनुरूप नहीं ढलना चाहिए, बल्कि व्यवस्था (जैसे स्कूल या कार्यस्थल) को व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार लचीला होना चाहिए। समावेशी दर्शन में अनुकूलन का अर्थ है—व्यवस्था को व्यक्ति के अनुसार बदलना, न कि व्यक्ति को व्यवस्था के अनुसार ढलने के लिए मजबूर करना।

यह स्तंभ इस विचार पर आधारित है कि यदि कोई बच्चा या व्यक्ति सीख नहीं पा रहा है या समाज में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं बल्कि हमारे तरीकों और वातावरण में है।

इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- **लचीलापन :** पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और कार्यस्थल के नियमों में लचीलापन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र सुनकर बेहतर सीखता है, तो उसे केवल लिखकर सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
- **वातावरण में बदलाव :** बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाना। जैसे सीढ़ियों की जगह रैंप बनाना, ब्रेल लिपि के संकेतों का उपयोग करना या बैठने की विशेष व्यवस्था करना।
- **सहायक तकनीक :** अनुकूलन के तहत आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे सुनने की मशीन, बोलने वाले सॉफ्टवेयर या विशेष कीबोर्ड, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके।
- **मूल्यांकन में छूट:** समावेशी दर्शन मानता है कि परीक्षा या कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार उसे अतिरिक्त समय या वैकल्पिक प्रश्न दिए जाने चाहिए।

4. समान अवसर: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सहयोग प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। समावेशी दर्शन में समान अवसर का अर्थ केवल सबको एक ही कतार में खड़ा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार समान परिणाम प्राप्त करने का मौका मिले। इसे अक्सर समता के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **बाधाओं को हटाना:** समान अवसर का पहला कदम उन सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बाधाओं को हटाना है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, एक गरीब प्रतिभाशाली बच्चे को छात्रवृत्ति देना ताकि वह अमीर बच्चे के समान शिक्षा पा सके।

- हकदारी का अधिकार: इसका अर्थ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मौलिक अधिकार किसी विशेष वर्ग या समूह की जागीर नहीं हैं। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी इन पर उतना ही हक है जितना किसी अन्य का।
- प्रतिभा का सम्मान: समावेशी दर्शन मानता है कि बुद्धिमत्ता या कौशल किसी शारीरिक बनावट या जाति का मोहताज नहीं होता। जब हम समान अवसर देते हैं, तो समाज को वह छिपी हुई प्रतिभाएँ मिलती हैं जो अवसरों के अभाव में दब गई थीं।
- विशेष सहयोग : समान अवसर का मतलब यह नहीं है कि दिव्यांग और सामान्य व्यक्ति को बिना किसी मदद के एक ही दौड़ में दौड़ा दिया जाए। इसका मतलब है कि दिव्यांग व्यक्ति को आवश्यक सहायक उपकरण (जैसे व्हीलचेयर या सॉफ्टवेयर) प्रदान करना ताकि वह प्रतिस्पर्धा में बराबरी से हिस्सा ले सके।

सुझाव

वर्तमान परिदृश्य में समावेशी शिक्षा का दर्शन केवल दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में बिठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर बच्चे की विशिष्टता को स्वीकार करने और उसे सीखने के समान अवसर देने की एक व्यापक सोच है। आज के संदर्भ में इस दर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. 'विविधता' को समस्या नहीं, 'संसाधन' मानना
2. वर्तमान परिदृश्य में हमें इस विचार को अपनाना चाहिए कि कक्षा में बच्चों की भिन्नता (भाषा, संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि या शारीरिक क्षमता) कोई बाधा नहीं है।
3. शिक्षकों को विविधता का उत्सव मनाना चाहिए। जब अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ सीखते हैं, तो वे सहानुभूति, सहिष्णुता और सामाजिक कौशल बेहतर तरीके से सीखते हैं।
4. आज का दर्शन 'समानता' (सबको एक जैसा देना) से आगे बढ़कर 'समता' (जिसको जितनी जरूरत है, उसे वैसा देना) पर केंद्रित होना चाहिए।
5. हर बच्चे की सीखने की गति और शैली अलग होती है। शिक्षकों को 'Universal Design for Learning' (UDL) अपनाना चाहिए, जहाँ पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ लचीली हों ताकि वे हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से ढल सकें।
6. केवल भौतिक रूप से स्कूल में उपस्थित होना समावेशन नहीं है। बच्चा मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्कूल का हिस्सा महसूस करना चाहिए।

7. स्कूलों में 'जीरो रिजेक्शन' (Zero Rejection) की नीति के साथ-साथ 'बुलिंग-फ्री' (Bullying-free) वातावरण बनाना अनिवार्य है। समावेशन का दर्शन तब सफल होता है जब बच्चा खुद को 'स्वीकृत' महसूस करता है।
8. दिव्यांग बच्चों के लिए 'असिस्टिव टेक्नोलॉजी' (Assistive Technology) जैसे स्क्रीन रीडर्स, टॉकिंग बुक्स और कस्टमाइज्ड कीबोर्ड का उपयोग बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) भी तकनीक के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाने पर ज़ोर देती है।
9. माता-पिता और समाज को समावेशी दर्शन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस सोच को बढ़ावा देना चाहिए कि समावेशी शिक्षा समाज के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है।
10. वर्तमान में शिक्षक को 'ज्ञान देने वाले' से अधिक एक 'मार्गदर्शक' की भूमिका निभानी है जो हर बच्चे के लिए मार्ग प्रशस्त करे।
11. शिक्षकों के लिए निरंतर 'व्यावसायिक विकास' (Professional Development) और संवेदीकरण (Sensitization) कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वे समावेशी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा का वर्तमान दर्शन "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" पर आधारित होना चाहिए, जहाँ शिक्षा किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार न होकर हर बच्चे का मौलिक अधिकार हो। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक रणनीति नहीं, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण है। यह इस विश्वास पर टिकी है कि यदि हम समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे को शिक्षित और सशक्त कर सकते हैं, तभी हमारी शिक्षा प्रणाली सफल मानी जाएगी। यह विविधता को स्वीकार करने और उसे एक शक्ति के रूप में देखने का दर्शन है।

REFERENCES

1. **Pandey, S., & Kachhap, S.** (2026). Reimagining braille literacy in inclusive schools: Special educators' reflections on introducing braille as an elective subject for sighted students. *European Journal of Special Education Research*, 12(3), 97–110.
2. **Patra, J., Panda, I., Gupta, T., Barman, P., Naskar, M., & Pal, D.** (2026). Educational equity for children with disabilities in the Global South: Special reference to India. *International Journal of Special Education*, 41(1s), 504–522.

3. **Rose, R., Narayan, J., Matam, S., & Reddy Sambram, P.** (2021). A comparison of provision and access to inclusive education for children with disabilities in a metropolitan city and a rural district in Telangana state, India. *Education Sciences*, 11(3), 111.
4. **Rangarajan, et al.** (2023). Inclusion and equity in India's new National Education Policy (NEP): An analysis using the context led model of education quality. *International Journal of Inclusive Education*.
5. **Kashyap, A. K., et al.** (2026). Integrated framework utilizing scene text detection and recognition techniques for enhancing point of interest extraction from name boards in all Indic languages. *PMC*.
6. Patra, J., et al. (2026). Educational Equity for Children with Disabilities in the Global South: Special Reference to India. *International Journal of Special Education*, 41(1s), 504-522.
7. Rose, R., Narayan, J., Matam, S., & Reddy Sambram, P. (2021). A Comparison of Provision and Access to Inclusive Education for Children with Disabilities in a Metropolitan City and a Rural District in Telangana State, India. *Education Sciences*, 11(3), 111.
8. Kaur, H. K. (2025). National Curriculum Framework (NCF) 2023: Reshaping India's Education for the 21st Century. *ShodhVarta*, 4(6).
9. Pani, S. P., & Pattnaik, S. K. (n.d.). *Modern Educational Thinkers*. DDCE Utkal University.
10. Spl, B. E. (2002). *Contemporary India and Education*. Netaji Subhas Open University.
11. Srikantha, D. J. (2018). *Defining Inclusive Education in India through the Perspectives of Educators* [Master's Research Project]. University of Toronto.
12. Yadav, S. K. (n.d.). *National Study on Ten Year School Curriculum Implementation*. NCERT.